न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 23/2016

श्री इकबाल पुत्र श्री वहीद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....*प्रार्थी*

बनाम

1— श्री संजय माहेश्वरी पुत्र श्री श्रीधर काला, जाति माहेश्वरी
2— श्री अमरूदीन पुत्र श्री अब्दुल अजीज, जाति मुसलमान
दोनों निवासीगण ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर
3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4)राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :— 1— श्री रूपक शर्मा, वकील प्रार्थी की ओर से
2— श्री दिनेश कुमार साहू, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
2— नायब तहसीलदार अजमेर (लीव रिजर्व), पैरोकार सरकार

—: आदेश :—

दिनांक—19.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 15.04.2013 को ग्राम पंचायत रामसर में आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर 2013 में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री संजय माहेश्वरी पुत्र श्री श्रीधर काला, जाति माहेश्वरी एवं श्री अमरूदीन पुत्र श्री अब्दुल अजीज, जाति मुसलमान दोनों निवासीगण ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम रामसर स्थित सिवायचक आराजी क्रमशः खसरा नम्बर 7755 व 7756 में से क्रमशः रकबा 0.96—0.96 व 0.33—0.33 हेक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन/नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन/नियमन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जवाब नोटिस पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन/नियमन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम रामसर स्थित विवादित आराजी के चौसाला जमाबन्दी पुराना खसरा संख्या 4994 व वर्किंग जमाबन्दी नवीन खसरा संख्या 5667 मिन रकबा 3.41 हैक्टर एवं वर्तमान जमाबन्दी हाल खसरा संख्या 7756 रकबा 3.41 है। विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 7756 के कुछ भाग का उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के अन्तर्गत हाल खसरा संख्या 7756/1 रकबा 0.33 हैक्टर का अप्रार्थी संख्या 1 व हाल खसरा संख्या 7756/2 रकबा 0.33 हैक्टर का अप्रार्थी संख्या 2 को बिना मौका व रिपोर्ट देखे एवं बिना कोई उद्घोषणा जारी किये गलत तरीके से आवंटन/नियमन किया गया है जबकि उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जा काश्तशुदा आराजी है एवं वह वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी हाल खसरा संख्या 7756 मिन रकबा 0.81 प्रार्थी के नाम खसरा परिवर्तन गिरदावरी सम्वत 2064 में काश्त का अंकन है, खसरा परिवर्तन सम्वत 2068 में ज्वार बाजरा की फसल एवं सम्वत 2067 .में तिल की फसल काश्त अंकन की गई है एवं प्रार्थी कदीमी काल से काबिज काश्त है व आज भी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है, जो राजस्व रेकॉर्ड से स्पष्ट है तथा प्रार्थी आवंटन/नियमन का प्रथम वरीयता से पात्र है एवं नियमन के पात्र व्यक्ति की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गलत तरीके से आवंटन/नियमन किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा राजस्व शिविर में बनाई गई रिपोर्ट में सम्वत 2065, 2066 व सम्वत 2067 से 2069 में विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा होना दर्शाया है जबकि खसरा परिवर्तन में प्रार्थी का कब्जा काश्त होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से दुर्भिसंधि कर कागजों में अपना कब्जा होना अंकित करवाया है, जबकि आवंटन या नियमन के समय मौके की वास्तविक भौतिक कब्जा रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अथवा उपखण्ड अधिकारी स्वयं को मौके पर उपस्थित होना चाहिये किन्तु इस प्रकरण में बिना मौका देखे ही आवंटन/नियमन किया गया है। उनका आगे कथन है कि आवंटन/नियमन करने से पूर्व उद्घोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा उद्घोषणा या आम सूचना का कोई प्रकाशन नहीं किया गया। उनके द्वारा आवंटन व नियमन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए नियम विरूद्ध आवंटन/नियमन किया गया है। आक्षेपीय आदेश कोरम द्वारा पारित नहीं किया जाकर केवल उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित किया गया है। उनके द्वारा कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेज या मौके का निरीक्षण नहीं किया गया एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में कितनी भूमि थी अथवा वे भूमिहीन काश्तकार थे या नहीं तथा उनका जीविकोपार्जन कृषि पर निर्भर था या नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सामाजिक प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं जिनका ग्राम रामसर में बोलबाला है। इनके पास उक्त आवंटनशुदा आराजी के अलावा पूर्व व वर्तमान में कई अन्य आराजियात भी उपलब्ध है, जिससे साबित होता है कि अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक वर्ग में नहीं आते हैं। अपने उक्त कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RRT 2021(2) पेज 1140, RBJ 2013 पेज 621, RBJ 2006 पेज 749, RBJ 2020 पेज 650 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं RBJ 2011 पेज 694 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित कराते हुए अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में खसरा संख्या 7756 में किया गया विवादित भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम हाल खसरा संख्या 7756 मिन रकबा 0.81 का आवंटन/नियमन किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विधिक रूप से पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुशंषा पर आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के अन्तर्गत ग्राम रामसर स्थित विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 7756/1 रकबा 0.33 हैक्टर का अप्रार्थी संख्या 1 व हाल खसरा संख्या 7756/2 रकबा 0.33 हैक्टर का अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन/नियमन किया गया है। प्रार्थी का विवादित आराजी खसरा संख्या 7756 पर स्वयं का कदीमी कब्जा काश्त होने का कथन गलत व काल्पनिक है क्योंकि सम्वत 2060 से लेकर वरवक्त आवंटन से वर्तमान तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं आराजी पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही है, जो न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जारी नोटिस एवं खसरा परिवर्तन सम्वत 2068 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2069 से 72 एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन/नियमन करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है बल्कि मजमेआम में उद्घोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित करते हुए विधिवत रूप से उक्त आराजी का आवंटन किया गया है। उन्होने आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में सम्पूर्ण कोरम की उपस्थिति में आक्षेपीय आवंटन/नियमन आदेश पारित किया है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के आवेदन पत्रों पर विचार कर, उनकी जांच कर मौके की जानकारी प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में होने सम्बन्धी तथ्यों व आवंटन नियमों की सम्पूर्ण जांच पड़ताल करते हुए विधिवत रूप से आक्षेपीय आवंटन/नियमन आदेश पारित किया गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि आवंटनशुदा आराजी पर अप्रार्थीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। यदि प्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज होता तो उसके द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आराजी के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था किन्तु उसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन होने के पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों की पालना के आधार पर आक्षेपीय आवंटन/नियमन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में भूमि आवंटित की गई है। विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वर्ष 2013 में आवंटन किया गया था। केवल मात्र ऐसे आवंटन/नियमन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो अथवा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया हो। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल, कपटपूर्वक व तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है। विवादित भूमि खसरा संख्या 7756 का कुल रकबा 3.41 हैक्टर है जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को क्रमशः केवल 0.33 व 0.33 हैक्टर भूमि का ही आवंटन किया गया है एवं प्रार्थी का भी केवल 0.81 पर ही राजस्व रेकॉर्ड अनुसार कब्जा काश्त होना पाया गया है। प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवंटित आराजी व उनकी कब्जेशुदा आराजी एक ही स्थान पर स्थित है एवं उनका कब्जा काश्त उसी भूमि पर रहा है जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवंटित की गई है क्योंकि आवंटित रकबे के पश्चात भी विवादित खसरा संख्या 7756 में रकबा 2.75 हैक्टर भूमि शेष रहती है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। विवादित आराजी खसरा संख्या 7756 का रकबा अधिक होने के कारण प्रार्थी का कब्जा इसी खसरे में किसी अन्य स्थान पर होना संभावित है। ऐसी स्थिति में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवंटित व प्रार्थी की कब्जेकाश्त की भूमि एक ही है। प्रार्थी चाहे तो अब भी विवादित आराजी में स्वयं की कब्जे काश्त की भूमि के आवंटन/नियमन हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन/नियमन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

19/2/24

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते